

Digitized by srujanika@gmail.com

तेकेन्द्री, प्राथमिक एवं यग्यस्क शिरका किंवद्दन, विहार

ੴ ਅਸਤ

श्री रमा दास  
विश्वोधु निटेन्क। रमा० विठ०। ।

सैया ३

ताविष्य,  
तेन्द्रुल बोड आफ रेले-न्ही सजुकेशान,  
शिक्षा केन्द्र, कम्पूनिटी तेन्टर, पुत्र विहार,  
विकास मार्ग, नई दिल्ली-। 10092

ਪਟਨਾ, ਫਿਲੋ ਮਿਤੀ 28-2-04

**विषय:-** राज्य के निजी प्रिवेटों को लैन्ट्रल बोर्ड ऑफ लेकेन्ड्री स्कूलेशन, नई दिल्ली ते सम्प्रदायता हेतु अनापरित प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सर्विस में।

महाराष्ट्र,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 30.12.2003 को निजी विद्यालयों को अनापणित प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में उच्चस्तरीय समिति की बैठक में संवैसम्मति से निस गर्जिणी के आलोक में निम्नांकित विद्यालयों को सी०बी०स्स०इ०, नड़ दिल्ली से सम्बद्धता/मान्यता हात इत्तर के ताथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक सर्वे शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष केनांटि का भुगतान विद्यालय के शिक्षक सर्वे शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना होगा :-

- १११ राताबटी पञ्चिक टेकल, फटारो हिल रोड, गया।

- १२८ श०१०१०० चिल्ड्रेन्स स्कैडमी, कटिहार

- १३१ शान् भारती पब्लिक ट्रेकल, पहाड़गंज, केन्ट एरिया, गया

- १४१ तौहीट स्केडूमी, तौहीटनगर, पश्चिम पाली, किशोरगढ़

- १५१ न्यू सरा पब्लिक स्कूल, छोटी राजवाटी, पोपलपाटी रोड, मुमेर

- १०८०भी० पञ्चिक फूल, फूहरी, रोहत गाँ

- डी० स० भी० पाब्लिक स्कूल, शोरपाटी, गुजरात

- स्वास्थ्य रक्षणा प्रबन्धक संकूल, पृष्ठा ४

- १९। साताराम डॉ०४०भी० पब्लिक स्कूल, रीतामढ़ी

- १०१ कमला नेहरु प्राप्ति विहार उच्च विधानसभा, राजकीय आश्रम, प

12.

स्कूल ऑफ किएटिव लनिंग, नरगढ़ा, टानापुर, पटना

स्कूल ऑफ किएटिव लनिंग, नरगढ़ा, टानापुर, पटना

2- इराकी सूचना संविधित विद्यालय के प्राचार्य को दी जा रही है।

3- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

विष्वासभाजन,

F. —

एम० दास।

विष्वास निटेश्वाक। माध्यमिक शिक्षा।

प्राप्ति 108 पटना, दिनांक 28-2-04  
प्रतिलिपि संविधित जिला पटाखिकारी/संविधित बैठकीय शिक्षा उप  
निटेश्वाक/संविधित जिला शिक्षा पटाखिकारी/संविधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचना  
स्वीकृत आवश्यक कार्यालय प्रेषित।

इसके अनुसार विद्यालय को सुनिश्चित करने हेतु किंग द्वारा प्रतिवर्ध कराया गया।

2. एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा।

3. निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाणा-प्र  
निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है:-

1क। विद्यालय द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकों को राज्य  
सरकार के विद्यालय के कमीशों के समकक्ष पेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया  
जा रहा है अथवा भुगतान करने में अधिक किलम्ब किया जा रहा है।

1ख। अनापत्ति प्रमाणा-पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली  
पाये जाने अथवा वर्तमानिक स्थिति तो भिन्न होने पर,

1ग। विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस गठ  
के लिए राशि की व्यवस्था हो उसका दूसरे मट में व्यय किया जा रहा है।

1घ। विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य  
सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही है,  
जिसके समाज के विभिन्न सोतायटी के बीच कटुता पैदा हो,

1च। सी०बी०स००५० मापदंड के अनुसम भवनों में सी०बी०स००५० मापदंड  
के अनुसम छात्रों की संख्या निर्धारित नहीं किए जाने पर।

28-2-04  
एम० दास।

विष्वास निटेश्वाक। माध्यमिक शिक्षा।

प्राप्ति 108 पटना, दिनांक 28-2-04  
प्रतिलिपि संविधि/निटेश्वाक, माध्यमिक शिक्षा/निटेश्वाक, प्राचार्य, विहार  
को सूचनार्थ प्रेषित।

28-2-04  
विष्वास निटेश्वाक। माध्यमिक शिक्षा।

SECRETARY  
NEW ERA PUBLIC SCHOOL  
PIPALPANTI ROAD MUNGER 108

प्रतिलिपि माननीय मंत्री/राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, विहार, पटना को  
सूचनार्थ प्रेषित।

Principal  
NEW ERA PUBLIC SCHOOL  
PIPALPANTI ROAD MUNGER 108  
निटेश्वाक। माध्यमिक शिक्षा।